रामजीलाल — मानदीन 23/2000

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30-4-18	पत्रावली फरीकैन उपस्थित वास्ते बहस अपील मुकाम प्रा० पत्र दिनांक 7-5-18 को पेश हो।	
7-5-18	पत्रावली [illegible] के वकील [illegible] अपीलांट ने एक प्रा० पत्र [illegible] का कारण मु० प्रा० पत्र [illegible] टिकट के पेश की। पत्रावली वास्ते बहस पेश हो। दिनांक [illegible] का पेश हो।	
28.5.18	पत्रावली [illegible] वास्ते प्रा० पत्र [illegible] तलब पेश हो।	
11.6.18	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] ने अन्य न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27.6.18 को पेश हो।	
27-6-18	पक्षकारों फरीकैन [illegible] अपीलांट ने दिनांक 25-9-17 की [illegible] में संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया और ना ही इस आदेश की कोर्ट का मुआवजा किया है [illegible] अपीलांट ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। अतः अपीलांट की अपील नोन कम्पलास में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official